

9
20.10.21

Form No-|||

अज अदालत

फर्द अहकाम (नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

किसा गुकदमा 136 एल आर एक्ट

अमरजीत सिंह बनाम

सरकार

नम्बर 99 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 /

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
20.10.2021	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>रूपेजा कोठी</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/198 दिनांक 20.10.2021 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>02 P.T.D.'B</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>02 B.W.M.A</u> की जमाबंदी सम्बत् <u>2070-73</u> के खाता सं. <u>02</u> में <u>अमरजीत सिंह S/O कर्मचर जाति</u> <u>कापडिया</u> के स्थान पर <u>अमरजीत सिंह S/O कर्मचर जाति</u> <u>कापडिया</u> की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंसा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>रूपेजा कोठी</u> रायसिंहनगर की अनुशंसा के आधार पर वाके चक <u>02 B.W.M.A</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत् <u>2070-73</u> के खाता सं. <u>02</u> में <u>अमरजीत सिंह S/O कर्मचर जाति</u> <u>कापडिया</u> के स्थान पर <u>अमरजीत सिंह S/O कर्मचर जाति</u> <u>कापडिया</u> की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

